37/

संख्या– /XXVIII–5–2014–51/2008

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 01 जनवरी, 2014

विषयः **राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार को बेस चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत डी0पी0आर0 की संस्तुत धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/21/2012/32051 दिनांक 21.11.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार को बेस चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत विस्तृत आगणन ₹3177.74 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0, वित्त एवं व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत कुल लागत ₹3159.81 लाख (सिविल कार्यों की लागत ₹2637.31 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के प्रावधानों के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों की लागत ₹522.50 लाख) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में **₹100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.12.2013 के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। लिफ्ट Standard कम्पनी की लगवायी जाय जैसे–OTIS, THYSSEN KRUPP, SCHINDLER, KONE जिससे चिकित्सालय में सुरक्षा एवं उच्च स्तरीय गुणवत्ता बनी रहे तथा Hospital में LED Light का प्रयोग किया जाय, जिससे भविष्य में बिजली की खपत में कमी हो एवं उच्च स्तरीय गुणवत्ता बनी रहे।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, निर्माण इकाई, हरिद्वार को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।
3. सिविल कार्यों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के अतिरिक्त आगणन में प्रस्तावित अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्यों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुपालन करते हुए किया जाए।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित किये जायें।
5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।
6. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्ड

D:\Medical Section-5 2013-14\Adm & Financial Sanction\Adm & Financial Sanc. G.O.doc

पार्टी चैकिंग व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी जिसके सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सैन्टेस चार्जेज से ही वहन किया जायेगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।
9. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.03.2013 में प्रदत्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाय तथा कार्य करने से पूर्व विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दि0 15.12.2008 के अनुसार एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर लिया जाए, जिसमें Defect Liability Clause का प्राविधान सुनिश्चित कर लिया जाए।
10. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत– 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय 17–अनावासीय भवनो में वृहद स्तरीय अनुरक्षण, विस्तारीकरण तथा निर्माण 24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–111(P)/XXVII(3)/2013–14 दिनांक 27 दिसम्बर 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 05 (1)/XXVIII-5-2013-51/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, पौडी गढवाल।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, पौडी गढवाल/मुख्य चिकित्साधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार गढवाल।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौडी गढवाल।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, निर्माण इकाई, हरिद्वार।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।